



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58472

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3387 वर्ष 2026

केपिन कुमार कांस्टेबल

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता	: अर्पण कुमार पाण्डेय, नमित श्रीवास्तव
प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता	: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नमित श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. इस न्यायालय ने 12.03.2026 को रिट याचिका पर विचार करते हुए निर्देश मांगे। आज मार्च 2026 को जिला कन्नौज के सर्किल ऑफिसर (ट्रैफिक) के हस्ताक्षर से निर्देश दिए गए हैं।
3. श्री गौरव सिंह, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने एक बयान दिया है कि वह निर्देशों से अच्छी तरह सुसज्जित हैं और प्रकरण पर बहस करने की स्थिति में हैं। वह कोई जवाबी हलफनामा दायर करने का प्रस्ताव नहीं करता है और वह आगे प्रस्तुत करता है कि रिट याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
4. पक्षों की सहमति से रिट याचिका पर नए सिरे से फैसला किया जा रहा है।
5. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे हेड कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था और उसे पुलिस स्टेशन- तिरवा, जिला कन्नौज में हेड मोहरीर का काम दिया गया था। रिट याचिकाकर्ता की पत्नी ने रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए दिनांक 15.11.2025 को एक आवेदन/लिखित रिपोर्ट को प्राथमिकता दी। चूंकि, प्रत्यर्थीगण के अनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ थे और रिट याचिकाकर्ता ने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रधान मोहरीर की हैसियत से 15.11.2025 को उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, जो पुलिस अधीक्षक के आदेश से 19.11.2025 को रिट याचिकाकर्ता को निलंबित करने का आधार बन गई।

(ख) उत्तर प्रदेश पुलिस अधीनस्थ रैंक (दंड एवं अपील) नियम, 1991 के नियम 17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कन्नौज की एक समिति का गठन किया गया है।

6. निलंबन आदेश पर सवाल उठाते हुए, वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी गई है।

7. इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित करते हुए 12.03.2026 को रिट याचिका पर विचार किया:-

“1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि रिट याचिकाकर्ता एक हेड मोहरीर है और रिट याचिकाकर्ता की पत्नी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन से संपर्क किया था और पुलिस निरीक्षक के आदेश के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता ने मोहरीर के प्रमुख होने के नाते एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

2. प्रस्तुत करना यह है कि रिट याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा दर्ज की गई लिखित रिपोर्ट की तुलना में प्रथम सूचना रिपोर्ट में निहित आरोपों में कोई विचलन नहीं है। आगे का निवेदन यह है कि केवल इसलिए कि रिट याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ खुद द्वारा दर्ज की गई पहली जानकारी मिल गई है, किसी भी तरह से किसी भी तरह से कदाचार नहीं होगा।

3. श्री गौरव सिंह, विद्वान स्थायी अधिवक्ता निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगते हैं और अदालत को यह भी बताते हैं कि रिट याचिकाकर्ता को कोई आरोप पत्र दिया गया है या नहीं।

4. इस प्रकरण को 20.03.2026 को नए सिरे से रखें।”

8. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने की मांग की है कि आक्षेपित निलंबन आदेश को एक पल के लिए भी कायम नहीं रखा जा सकता है। उक्त सबमिशन को विस्तार से बताते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी कदाचार नहीं किया गया ताकि नियोक्ता को रिट याचिकाकर्ता को निलंबित करने का अधिकार दिया जा सके, जैसे कि रिट याचिकाकर्ता की पत्नी ने 12.11.2025 की घटना के संबंध में रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसमें आरोप यह है कि रिट याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी पर हमला किया, लेकिन रिट याचिकाकर्ता ने पूरी निष्पक्षता से जो प्रमुख मोहरीर के रूप में तैनात रहते हुए अपने खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आगे बढ़े। तर्क



यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय लिखित रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का कोई आरोप नहीं है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता विभागीय कार्यवाही का सामना करने में संकोच नहीं करता है, लेकिन निलंबन आदेश उन सभी अप्रासंगिक मुद्दों पर आगे बढ़ता है, जो कदाचार का गठन करने के लिए किसी कार्य के लिए आवश्यक नहीं हैं ताकि रिट याचिकाकर्ता को विभागीय नियमों के तहत निलंबित किया जा सके।

9. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता 13.11.2025 और 14.11.2025 से दो दिनों के लिए छुट्टी पर आगे बढ़े थे। चूंकि रिट याचिकाकर्ता छुट्टी पर था, इसलिए हेड कांस्टेबल 233 राम भवन द्वारा धारित प्रभार सुनील कुमार कांस्टेबल 696 को स्थानांतरित कर दिया गया, जैसा कि जीडी बेयरिंग संख्या 022 दिनांक 15.11.2025 को 10:15 बजे और 15.11.2025 को 11:54 बजे जीडी संख्या 026 के अनुसार, यह आरोप लगाया गया है कि रिट याचिकाकर्ता ने पुलिस स्टेशन के समक्ष रिपोर्ट की थी और जीडी संख्या 44 दिनांक 15.11.2025 को 19:24 बजे रिपोर्ट किया था, आरोप रिट याचिकाकर्ता को सौंप दिया गया। प्रस्तुत किया गया है कि रिट याचिकाकर्ता के लिए नैतिक या स्वामित्व के लिहाज से भी यह खुला नहीं था कि वह हेड मोहरीर की क्षमता में स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए। आगे प्रस्तुत किया गया है कि पृष्ठ-20-21 पर दिए गए निर्देशों के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा 18.11.2025 को पुलिस अधीक्षक, कन्नौज के समक्ष रिट याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा स्वयं रिट याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त करने और जांच को किसी अन्य पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने के अनुरोध के संबंध में एक शिकायत दर्ज की गई थी।

10. मैंने बार में किए गए प्रस्तुतियों को सुना है और रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है।

11. जाहिर है, रिट याचिकाकर्ता की पत्नी श्रीमती शीतल ने रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ 15.11.2025 को एफआईआर दर्ज करने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन से संपर्क किया था। प्रतिद्वंद्वी पक्षों के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता ने 13.11.2025 से 14.11.2025 तक छुट्टी का लाभ उठाया। रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि उसने अधिकारियों को सूचित किए बिना अपने आप में धारा 85/115 (2)/351(2)/352 बीएनएस के तहत 2025 की प्रथम सूचना



रिपोर्ट प्राप्त की, जिसमें 15.11.2025 को हेड मोहरीर के रूप में कार्य करते हुए अपने खिलाफ दर्ज की गई थी।

12. विद्वान स्थायी अधिवक्ता से पूछे गए एक स्पष्ट प्रश्न पर कि क्या लिखित रिपोर्ट में निहित आरोपों में कोई विचलन है, प्रथम सूचना रिपोर्ट की तुलना में, जो रिट याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं के खिलाफ दर्ज की गई थी, उत्तर नकारात्मक है।

13. प्रथम दृष्टया, न्यायालय ने पाया कि 10:15 बजे जीडी संख्या 022 से पता चलता है कि रिट याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में, जो छुट्टी का लाभ उठा रहा था, श्री राम भवन द्वारा सुनील कुमार को प्रभार सौंप दिया गया था और जीडी संख्या 26 दिनांक 15.11.2025 को 14:54 बजे, यह दर्शाता है कि रिट याचिकाकर्ता को 15.11.2025 को 11:54 बजे संबंधित पुलिस स्टेशन में सूचित किया गया था, और 15.11.2025 को 19:30 बजे जीडी संख्या 44 से पता चलता है कि हेड मोहरीर का प्रभार रिट याचिकाकर्ता को 19:24 बजे सौंप दिया गया था और विषय एफआईआर 15.11.2025 को रिट याचिकाकर्ता द्वारा 15.11.2025 को 19:36 बजे हेड मोहरीर की क्षमता में दर्ज की गई थी।

14. जैसा भी हो, प्रथम दृष्टया, न्यायालय को रिट याचिकाकर्ता की निरंतरता निलंबन के तहत नहीं मिलती है, खासकर जब आरोप पत्र आज तक जारी नहीं किया गया है, हालांकि श्री गौरव सिंह के अनुसार, यह अनुमोदन के लिए लंबित है और जल्द ही रिट याचिकाकर्ता पर होगा। तदनुसार, रिट याचिका पर निम्नलिखित शर्तों में निर्णय लिया जा रहा है: -

(क) रिट याचिकाकर्ता को निलंबित करने वाले एसपी कन्नौज द्वारा पारित दिनांक 19.11.2025 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

(ख) आरोप पत्र की सेवा के बाद विभागीय जांच, यदि कोई हो, जारी रहेगी।

(ग) रिट याचिकाकर्ता भाग लेगा और आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर जांच कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।

(ड) रिट याचिकाकर्ता को निलंबन आदेश पारित होने की तारीख से उसकी बहाली तक निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाएगा, जो सांविधिक प्रावधानों की पूर्ति के अधीन है।



15. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता को कार्यवाही में सहयोग करना है और यदि स्थगन की मांग की जाती है तो यह चरम परिस्थितियों में नियंत्रण और समझ से परे 10 दिनों से अधिक समय तक होगा।

16. वर्तमान आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी केवल निलंबन जारी करने तक ही सीमित है। रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध की जाने वाली जांच पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विवेचनाधिकारी/अनुशासनात्मक प्राधिकारी विधि अनुसार उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

17. आज दायर किए गए निर्देशों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है और परिशिष्ट ए के रूप में चिह्नित किया जाता है।

20 मार्च, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)